दिनांक	आज्ञा पत्र
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील श्रमिक पक्ष उप/श्रम द्वारा नोट शीट में वापिस किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इस आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RJ Act को आगे चलाया जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी कर्मकार व वकील प्रार्थीगण के अनुरोध पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RJ Act प्रार्थीगण नोट शीट में वापिस किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही आवश्यक अभिलेख है। निर्णय आज दिनांक 11/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता। सहायक श्रम आयुक्त (मु.) बीकानेर।

Pl. V.C. Parek
Advocate
11/2/25

Scanned with CamScanner